R 611-III/15

शाहबुद्दीन आ.वहीद खां आयु वयस्क,
निवासी–ग्राम पानविहार तहसील श्यामपुर,
जिला–सीहोर मध्यप्रदेश .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. बद्रीप्रसाद आ.हजारीलाल दांगी
2. रूकमणी बाई पत्नि बद्रीप्रसाद दांगी
3. रामेश्वर आ.बद्रीप्रसाद दांगी
   तीनो निवासी ग्राम पानविहर
   तहसील श्यामपुर जिला–सीहोर म.प्र. ....रेस्पॉडेंटसगण

15-4–2015	आवेदक अभिभाषक श्री बी0 एन0 कोचर द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्क पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 12/अ–13/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में उपलब्ध तहसीलदार के आदेश की प्रति एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है अनावेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष पर इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा खन्ती खोदकर आवेदकगण का आने–जाने एवं कृषि कार्य में उपयोग होने वाले रास्ते को रोका है, अतः रास्ता खुलवाया जाये। तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 12–2–15 से प्रकरण दर्ज कर आवेदक को तलब करने एवं हल्का पटवारी से स्थल जांच कर वस्तुस्थिति की जानकारी के आदेश दिये हैं, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डा0 मधु खरे) सदस्य	